न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 43/2023 अपील

1. बालूदास पुत्र भगवतीदास बैरागी निवासी माली मौहल्ला, पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. संतोकदास पुत्र भगवतीदास बैरागी निवासी– बजरंगपुरा, पुर तहसील एंव जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. कमला पत्नी शिवदास बैरागी निवासी– पातोला महादेव रोड़, विश्नोई मौहल्ला, पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. मुकेशदास पुत्र शिवदास बैरागी निवासी छात्रावास के पास, प्लॉट नम्बर 04 मैन रोड, पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
3. लादूदास पुत्र शिवदास बैरागी निवासी– पातोला महादेव रोड़, पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
4. हरप्रीत छीपा पत्नी पवन कुमार छीपा निवासी– गुरुद्वारा नंदिनी नगर, अहिवारा के पास, दुर्ग छत्तीसगढ़ हाल तेंलीयो की बारी, देवली रोड़, पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

–रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरणकरण संख्या 8908 दिनांक 04/05/2021 तहसीलदार, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित –

1. श्री उदयसिंह चारण अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री कन्हैयालाल सेन अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 04 की ओर से

निर्णय

दिनांक 11.11.2024

अपीलार्थीगण की ओर से अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत विपक्षीगणों के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि सरहद पुर पटवार हल्का पुर

हाईवे में अधिग्रहण हुई, उस समय भी प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 03 तीन द्वारा 1/7 हक हिस्से का ही मुआवजा प्राप्त किया गया व प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 03 का 1/7 हक हिस्सा होते हुए भी प्रत्यर्थी संख्या 04 चार के पक्ष में जो नमाानतरणकरण फैसल किया गया है, जो 1/2 हक हिस्से का करने में भारी भूल फरमायी है। राजस्व कर्मचारीयो का दायित्व था कि वो रजिस्टर्ड विक्रयपत्र मे हक हिस्सा उल्लेखित नही है तो राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर हक हिस्सा नामान्तरणकरण मे भरे लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 04 चार से सांठ गांठ कर उसे बेजा लाभ पहुंचाने की नियत से गलत हक हिस्सा भरकर नामान्तरणकरण फैसल किया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरणकरण फैसल किया है जो बिना किसी जांच पडताल किये मनमकसूद तौर पर बिना अपीलार्थीगण को सुने फैसल किया है, जो विधि विरूद्ध एवं नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। जानकारी की दिनांक से यह अपील अन्दर अवधि पेश है व वैसे भी आलोच्य आदेश को चैलेज करने हेतु कोई मियाद नही है, फिर भी आदेश की दिनांक से अपील पेश करने में हुई देरी के समय को कण्डौन फरमाया जाने व कानूनी उजर रफा करने हेतु धारा– 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा पारित नामान्तरणकरण संख्या 8908 दिंनाक 04/05/2021 को अपास्त फरमाया जाकर प्रत्यर्थी संख्या 04 के 1/7 हक हिस्से के बजाय दर्ज 1/2 हक हिस्से को हटाया जावे।

प्रस्तुत अपील न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगणों को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 से 03 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में अपीलाण्ट अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या 04 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार

न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए थी, न कि इस न्यायालय में। निवेदन हैं कि अपीलार्थीगणों की अपील बेबुनियाद एवं आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का पूर्ण परीक्षण किया गया जिसके अनुसार पाया गया कि जमाबंदी संवत 2065–2068 अनुसार ग्राम पुर तहसील भीलवाडा की आराजी संख्यां 4666 में भगवतीदास पिता गणेशदास बैरागी की विरासत नामान्तरकरण संख्या 6671 दिनांक 01.10.2012 अनुसार विरासत से भगवतीदास के बजाय बालूदास सन्तोकदास शिवदास पिता भगवतीदास गीताबाई कमलाबाई प्रेमबाई लीलाबाई पुत्रियां भगवतीदास बैरागी की नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुयी। इस प्रकार उक्त जमाबंदी अनुसार खातेदार भगवतीदास बैरागी के विरासत के रूप में 7 व्यक्तियों के नाम पर उक्त आराजी का अंकन किया गया। उक्त 7 व्यक्तियों के नाम पर प्रश्नगत आराजी के विरासतन अनुसार के खण्डन में विपक्षी संख्या 04 के अधिवक्ता ने कोई साक्ष्य दस्तावेजात पेश नही किया गया एवं न ही इस बाबत् कोई अन्य तथ्य अथवा कथन व्यक्त किया गया। जिससे जाहिर होता हैं कि उक्त आराजी संख्या 4666 में भगवतीदास के विरासतन के रूप में 7 व्यक्तियों के नाम पर उक्त आराजी समाहित हुयी हैं, जो 1/7 हिस्से के रूप में इंगित होता हैं।

जमाबंदी संवत् 2069–2072 अनुसार नामान्तकरण संख्या 7269 दिनांकित 31.10.2014 अनुसार विरासत से शिवदास के बजाय मुकेशदास लादूदास पिता शिवदास कमला बेवा शिवदास बैरागी के नाम पर विरासतन दर्ज की स्वीकृति जारी की गयी। इस प्रकार शिवदास का हिस्सा उसके विरासत को प्राप्त हुआ। इस पर भी विपक्षी संख्या 04 के अधिवक्ता ने कोई खण्डन नही किया कि उक्त प्रश्नगत आराजी मे से शिवदास का 1/7 हिस्सा निहित हैं अथवा नही। विपक्षी संख्या 04 के अधिवक्ता द्वारा शिवदास का 1/6 हिस्सा होना व्यक्त किया, किन्तु इस बाबत् कोई पुष्ट प्रमाण अथवा प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया।

पत्रावली पर प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 21.03.2021 के पृष्ठ संख्या 02 में अंकित अनुसार प्रथम पक्ष संख्या 1 से 3 का संपूर्ण हक हिस्सा भूमि को द्वितीय पक्ष को करा दिया हैं। इसमे प्रथम पक्ष शिवदास के वारिसान मुकेशदास लादूदास पिता शिवदास कमला बेवा शिवदास बैरागी हैं तथा द्वितीय पक्ष अपील में अंकित प्रत्यर्थी

संख्या 04 श्रीमती हरप्रीत छीपा हैं। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का पूर्ण परीक्षण उपरांत पाया गया कि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में कहीं पर भी प्रथम पक्ष का 1/6 हिस्सा अंकित नहीं हैं। जबकि प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 8908 दिनांकित 04.05.2021 अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कमला मुकेशदास एवं लादूदास के नाम पर उक्त आराजी में से 1/6 हिस्सा अंकित करके, प्रत्यर्थी संख्या 04 श्रीमती हरप्रीत छीपा के नाम पर 1/2 हिस्से से नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया जो पूर्णतया विधि विरूद्व होकर त्रूटिपूर्ण प्रतीत होता है। उक्त नामान्तरकरण आदेश से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पुर की आराजी संख्या 4666 के विरासतन की जांच परख किये बिना ही आनन फानन में उक्त नामान्तरकरण पारित कर दिया गया जो विधि विरूद्व होने से न्यायोचित नही ठहरता हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 8908 दिनांकित 04.05.2021 को अपास्त किया जाकर भवगतीदास बैरागी के संपूर्ण विरासतन की जांच परख करके एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का पूर्ण परीक्षण करके विरासतन अनुसार व उभयपक्षों की उपस्थिति में हक हिस्से अनुसार नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य न्यायोचित होने से अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार यौग्य ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा के नामान्तरकरण संख्या 8908 निर्णय दिनांक 04.05.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में भवगतीदास बैरागी के संपूर्ण विरासतन की जांच परख करके एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का पूर्ण परीक्षण करके विरासतन अनुसार व उभयपक्षों की उपस्थिति में हक हिस्से अनुसार नये सिरे से निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)